2024 का हरियाणा वधेयक संख्या.....

# हरियाणा नगरपा लका (संशोधन) वधेयक, 2024

हरियाणा नगरपा लका अ धनियम,

1973 को आगे संशो धत

करने के लए

वधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य वधानमण्डल द्वारा निम्न ल खत रूप में यह अ धनिय मत हो:-

सं क्षप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 38क का रखा जाना।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 38 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"38क. सामान्य सेवा नियम बनाने की शक्ति.- इस अधिनियम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगमों, नगर परिषद्ों तथा नगरपालिका समितियों के मामलों के संबंध में भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों को विनियमित करने हेतु सामान्य सेवा नियम बना सकती है।"।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण